


## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 67/2024 बउनवानी गिराज प्रसाद वर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूंगर

**GCMS No-2024/160**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  |
|------------|--|
| 26.12.2024 | <p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " <u>चकबन्दी नम्बर 66,67 सफा नम्बर 45 खातेदार देवबक्स वल्द काल्या चमार साबिक ख0न0 355,356,769,799,800,832,833,834,900,910,916,901,199/922 ग्राम चान्दनोली तह0 मलारना चौड हाल तहसील मलारना डूंगर की सम्वत् 2024 से वर्तमान सम्वत् 2081 तक की सम्पूर्ण जमाबन्दी,मिलान क्षेत्रफल,नक्शा ट्रेस पुराना व वर्तमान, खसरा परिवर्तनशील, सहित कुल 4 बिन्दुओं की सूचना</u> " तहसीलदार मलारना डूंगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/रीडर/सूकाअ/2024/737 दिनांक 17.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 8.10.2024 में चाही गयी बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्रांक एलआर/2024/9127 दिनांक 25.11.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्रांक 9127 दिनांक 25.11.2024 से अपीलान्ट के उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा उपलब्ध करवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी है अर्थात उपलब्ध करवायी सूचना से अपीलान्ट वह संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>             (शुभम चौधरी)<br/>             जिला कलेक्टर<br/>             सवाई माधोपुर         </div> |